माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या :–(0755) 2551166 (PBX no111)

क्रमाँक / गोपनीय / 453 / 2016 भोपाल, दिनाँक 07/05/ 2016

प्रति

समस्त प्राचार्य / मूल्यांकन अधिकारी
मण्डल परीक्षा वर्ष 2016,
मध्यप्रदेश।

विषयः– हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी / हा.से.व्या. परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के अंक सत्यापन एवं उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान करने विषयक।

संदर्भः– मा.शि. मण्डल का आदेश पत्र क्रमांक / गोपनीय / 1135 / 2013, भोपाल, दिनांक 17 / 12 / 2013

– –XX– –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2016 की हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी / हा.से.व्या. परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के अंक सत्यापन एवं उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान करने संबंधी समस्त प्रक्रिया **मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक / गोपनीय / 1135 / 2013, भोपाल, दिनांक 17 / 12 / 2013** अनुसार सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष की आज्ञा से।
संलग्नः–पूर्व प्रसारित आदेश।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र.भोपाल

पृ.क्र. / गोपनीय / 454 / 2016 भोपाल, दिनांक 07/05/ 2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव–अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल
2. अतिरिक्त सचिव / परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
3. समस्त, अपर संचालक लोक शिक्षण, संभागीय मुख्यालय, मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक, वित्त, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल, म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि संबंधित मूल्यांकन केन्द्रों को छायाप्रतियां एवं पुर्नगणना कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक धन राशि छात्रों के आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के दूसरे दिन डाटा कक्ष से प्राप्त कर वास्तविक राशि की गणना कर कार्यदिवस के चौथे दिन मूल्यांकन अधिकारियों को राशि भेजी जावे।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
6. आंचलिक / समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय मा.शि.म.मध्यप्रदेश।
7. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी / सहायक सचिव / कक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या :–(0755) 2551166 (PBX No. 111)

क्रमाँक / गोपनीय / 1135 / 2013 भोपाल, दिनाँक 17 / 12 / 2013

/ / आदेश / /

प्रतिवर्ष मण्डल परीक्षाओं की अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किये जाते है, मण्डल विनियम 1965 पैरा 119 के अनुसार घोषित परीक्षा परिणाम के प्राप्तांको से असंतुष्ट होकर छात्र / छात्राओं द्वारा अंको के पुर्नगणना के सशुल्क प्राप्त आवेदन उपरांत आवेदनकर्त्ता छात्र / छात्राओं की उत्तरपुस्तिका में प्राप्त अंको की योग् त्रुटि व अमूल्यांकित प्रश्नों के परीक्षण किये जाते है।

गत वर्षो में पुर्नगणना के प्राप्त आवेदनों के अनुसार प्रकरणों का परीक्षण प्रदेश के सभी जिलो में स्थापित मूल्यांकन केन्द्रों पर ही मूल्यांकन अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुर्नगणना करवाई जाती रही है, किन्तु प्रतिवर्ष ऐसे प्रकरण प्राप्त होते रहे है, जिनमें मूल्यांकन में की गई त्रुटियों को पुर्नगणना में भी अनदेखा कर छात्रों को नो चेंज की सूचना भेज दी गई। जिन्हें छात्रों द्वारा उत्तरपुस्तिका छायाप्रति प्राप्त करने के उपरांत मण्डल को त्रुटि से अवगत कराये जाने पर परीक्षण में यह पाया गया कि छात्र के अंको के योग में त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न पाये गये है। जैसे अनुकमांक 224422652 के विषय रसायन शास्त्र में प्रथमतः छात्रा के आवेदन के विपरीत किसी छात्र की उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति मूल्यांकन केन्द्र द्वारा प्रेषित की गई, पुनः छात्रा ने मण्डल को त्रुटि से अवगत कराते हुए आवेदन करने पर उसकी वास्तविक उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति भेजी गई, जिससे असंतुष्ट होकर छात्रा द्वारा मान्नीय उच्चन्यायालय इन्दौर खण्डपीट में वाद क. 8594 / 12 मण्डल के विरूद्व दायर किया गया, जिसमें मान्नीय न्यायालय द्वारा त्रुटि हेतु रूपये 50,000 / – आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार वाद क. 12300 / 2013 के अनुकमांक 236316055 विषय– सा. हिन्दी की मूल उत्तरपुस्तिका में परीक्षक द्वारा 90 अंक प्रदान किये गये थे, किन्तु ओ.एम.आर.शीट में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई जिसमें छात्रा को 75 अंक प्राप्त हुए। छात्रा द्वारा पुर्नगणना एंव उ.पु. की छायाप्रति हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया, जिसमें मूल्यांकन केन्द्र द्वारा पुनः त्रुटि करते हुये नो चेंज की सूचना छात्रा को भेजी गई, छात्रा को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति मूल्यांकन केन्द्र से प्राप्त हुई जिसमें 90 अंक प्राप्त थे, इस आधार पर छात्रा ने मान्नीय उच्चन्यायालय जबलपुर में मण्डल के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया, जिसमें रूपये 1,00,000 / – (एक लाख रूपये मात्र) का आर्थिक दण्ड मण्डल पर अधिरोपित किया गया साथ ही छात्रा का जे.ई.ई. मुख्य परीक्षा 2013 में कुल प्राप्तांको के आधार पर चयन नहीं हो सका। इस प्रकार के अनेको प्रकरणों में मा0शि0मण्डल के साथ ही शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे है।

उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल परीक्षाओं के पुर्नगणना व उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियों के प्रेषण में त्रुटि रहित निराकरण हेतु पूर्व प्रसारित नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(अ) पुर्नगणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने की समयावधि, प्रक्रिया एवं शुल्क–

1– परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियां प्राप्त करने के आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क / एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2– उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने वाले छात्रों को पुर्नगणना कराना इसलिए अनिवार्य किया जाता है। उत्तरपुस्तिका छायाप्रतियों के आवेदित प्रकरणों में अंक योग की त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न होने की स्थिति में प्रकरणों में उत्तरपुस्तिका छायाप्रति प्रेषित करने के पूर्व ही त्रुटि का सुधार अनिवार्य रूप से किया जाये।

3– शुल्क का विवरण–

क्र.	कार्य का विवरण	शुल्क
1	पुर्नगणना हेतु	रूपये 200 / – प्रति विषय
2	उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु	रूपये 500 / – प्रति विषय

17/12

(ब) **मूल्यांकन अधिकारी को पुर्नगणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के आवेदनों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया–**

1– प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र को निर्धारित 15 दिवस की अवधि के उपरांत कुल प्राप्त पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के आवेदनो का एक ही लॉट बनाकर उपलब्ध कराया जावेगा।

2– उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियों के आवेदन भी एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध मूल्यांकन अधिकारी के **Login-** में **Answer Book Request-** लिंक पर क्लिक करने पर प्रिंट किये जा सकेंगे।

3– ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के आधर पर पुनर्गणना आवेदनों की सूचियां, केन्द्रवार, अनुक्रमांकवार, विषयवार, एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल के **Login.** में उपलब्ध रहेगी।

4– मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन केन्द्र से संबंधित **Login ID.** से **Login-** करके यह सुनिश्चित कर लें कि आपको एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल पर **Login.** करने में कोई कठिनाई नहीं है।

5– एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर आपके **G2G Login.** से प्रविष्ट होने पर इस कार्य के विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश उपलब्ध होंगे।

(स) **मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पुर्नगणना कार्य करवाने एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजने की प्रक्रिया व समयावधी–**

1– इस वर्ष **I I T परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन के कारण गणित, जीव विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के पुर्नगणना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रथमतः पूर्ण किया जाना है।** अतः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, एवं जीव विज्ञान की उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नगणना का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अंको में परिवर्तन वाले प्रकरण पुर्नगणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन मण्डल मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें ताकि छात्र, अन्य प्रवेश परीक्षाओं में सम्मलित होने से वंचित न हो सके।

2– छात्रों को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रेषित करने के पूर्व अंको के योग त्रुटि व अमूल्यांकित भाग का परीक्षण भी मूल्यांकन केन्द्र पर ही किया जावेगा। अंको की योग त्रुटि व अमूल्यांकित भाग पाये जाने पर प्रथमतः त्रुटि सुधार की कार्यवाही मूल्यांकन केन्द्र पर ही पूर्ण करने के उपरांत ही छात्र को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रेषित की जावे परिर्वतन से संबंधित सभी प्रकरणों की मूल उ.पु. प्रतिवेदन सहित मण्डल के गोपनीय कक्ष को प्रेषित की जावे।

3– अमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर ही मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विषय शिक्षक से कराया जावे।

जिन प्रकरणों में पुनर्गणना के फलस्वरूप उत्तरपुस्तिका में अमूल्यांकित भाग पाये जाने पर संबंधित मूल्यांकन केन्द्र द्वारा मूल्यांकित भाग का मूल्यांकन कराकर "चेंज प्रकरण" के तहत मण्डल को कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन मण्डल मुख्यालय को कर्मचारी के हस्ते प्रेषित करेंगे। **इन प्रकरणों में अमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन हरी स्याही से किया जावे।**

4– प्रकरणों के परीक्षण उपरांत सभी प्रकरणों की चेन्ज/नो–चेन्ज की स्थिति आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 10 दिवस में पूर्ण की जाकर एम.पी.ऑनलाईन में आवेदकों की जानकारी हेतु दर्ज करवाई जावे।

5– पुर्नगणना की समाप्ति के उपरांत अगले 15 दिवसों में सभी छात्रों की (जिन्होंने उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति का आवेदन किया हो) उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति संबंधित के पते पर भेजी जावें।

6– पुनर्गणना के फलस्वरूप अंक परिर्वतन के प्रकरणों की मूल उत्तरपुस्तिका पुर्नगणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन विशेष वाहक के माध्यम से मण्डल मुख्यालय के गोपनीय कक्ष को संलग्न प्रारूप में जानकारी सहित प्रेषित की जाये।

7– उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रतियॉ प्रेषित करने के पश्चात प्रेषित उत्तरपुस्तिकाओं के स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट क्रमांक की प्रविष्टि सहित संधारित की गई पंजी मण्डल के वित्त कक्ष में जमा करायें। पंजी प्राप्त न होने के अभाव में यह माना जावेगा कि आपके मूल्यांकन केन्द्र से उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियों का प्रेषण नहीं किया गया हैं।

16/12

(द) **कार्य में विलंब की स्थिति में अर्थदण्ड का प्रांवधान–**

पुर्नगणना व उत्तरपुस्तिका छायाप्रति भेजने के कार्य में बिन्दु स में उल्लेखित समयावधि में विलंब किये जाने पर मूल्यांकन अधिकारी व इन कार्यो में संलग्न कर्मचारियों पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा–

क्र.	अर्थदण्ड का प्रकार	अधिरोपित अर्थदण्ड
1	पुनर्गणना कार्य एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजने में विलम्ब के लिए	मूल्यांकन अधिकारी एवं सहायक मूल्यांकन अधिकारी को सम्मिलित रूप से 50/–रूपये प्रति दिन
2.	त्रुटिपूर्ण पुनर्गणना के लिए	पुनर्गणना करने वाले संबंधित शिक्षक से 20/– रूपये प्रति अंक
3.	त्रुटिपूर्ण उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजी जाने पर	मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी एवं कार्य में संलग्न समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों से सम्मिलित रूप से 500/– रूपये प्रति प्रकरण

(इ) **पुर्नगणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति कार्य में संलग्न कर्मचारियों का पारिश्रमिक–**

1– छात्रों को उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रतियां उपलब्ध कराने हेतु मूल्यांकन अधिकारियों को प्रति उत्तरपुस्तिका व्यय हेतु रूपये 100/– की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि में कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की पारिश्रमिक की राशि भी शामिल है।

2– उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नगणना के कार्य हेतु पारिश्रमिक प्रति उत्तरपुस्तिका राशि रूपये 17/– स्वीकृत की जाती है इस राशि में कार्य मे संलग्न सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक की राशि भी शामिल है।

3– यदि अंक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि कोई प्रश्न अमूल्यांकित छोड़ दिया गया है तो ऐसे मूल्यांकन के लिये विषय शिक्षक को 09 रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका के मान से भुगतान किया जायेगा। पारिश्रमिक की राशि का भुगतान मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रदान किया जावेगा।

पारिश्रमिक राशि के व्यय का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा –

क्र..	कार्य का विवरण	देय राशि रूपये में
01	उत्तरपुस्तिका निकालने वाले का मानदेय	03/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका
02	कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय	03/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका
03	मूल्यांकन अधिकारी का मानदेय	02/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका
04	मूल्यांकन अधिकारी के सहायक का मानदेय	02/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका
05	पुर्नगणना करने वाले शिक्षक/कर्मचारी का मानदेय	07/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका
06	आमूल्यांकित भाग का पुर्नमूल्यांकनकर्ता का पारिश्रमिक	09/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका
07	उत्तरपुस्तिका की फोटोप्रति कर छात्र के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजने का व्यय	रूपये 90/– प्रति उत्तरपुस्तिका

(ई) पुर्नगणना एंव उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के त्रुटि पूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु मण्डल मुख्यालय में निम्नानुसार समिति सक्षम होगी।

1. परीक्षा नियंत्रक	अध्यक्ष	2. पंजीयक (गोपनीय)	सदस्य
3. सी.एस.ओ. (डाटा)	सदस्य	4. पंजीयक (समन्वय)	सदस्य
5. सहायक सचिव (गोपनीय)	समन्वयक		

उपरोक्त समिति की अनुशंसा अनुसार परीक्षा परिणाम संशोधन हेतु गोपनीय कक्ष अंक परिवर्तन की जानकारी एक सप्ताह में डाटा कक्ष को भेजेगा तथा डाटा कक्ष अंकसूची तैयार कर 10 दिन में संबंधित परीक्षा कक्ष को सौंपेगें। परीक्षा कक्ष 03 दिवस में संशोधित अंकसूची संबंधित सहायक सचिव के हस्ताक्षर से संबंधित संस्था को भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रति सप्ताह निराकृत एवं शेष प्रकरणों की समीक्षा मण्डल मुख्यालय में की जावेगी।

(पुष्पलता सिंह)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र. भोपाल

पृष्ठ. क्रमाँक/गोपनीय/1136 /2013
भोपाल, दिनाँक 17/12/2013

प्रतिलिपि :-

1— निज सचिव— अध्यक्ष/उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
2— निज सचिव— सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल।
3— माननीय मण्डल सदस्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.।
4— अतिरिक्त सचिव (प्रशा./परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
5— समस्त, अपर संचालक लोक शिक्षण, संभागीय मुख्यालय, मध्यप्रदेश।
6— समस्त, प्राचार्य/मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी, मूल्यांकन केन्द्र, मध्यप्रदेश।
7— अपर संचालक, वित्त, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म. प्र. भोपाल की ओर भेजकर लिखा जाता है कि संबधित मूल्यांकन केन्द्रो को छायाप्रतियॉ एवं पुर्नगणना कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक धन राशि छात्रों के आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के दूसरे दिन डाटा कक्ष से प्राप्त कर वास्तविक राशि की गणना कर कार्यदिवस के चौथे दिन मूल्यांकन अधिकारियों को राशि भेजी जावे।
8— समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9— आंचलिक/समस्त, संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
10— समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र. भोपाल